

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
(वित्त एवं व्यय)  
वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 32 / 2016

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. सरकारी बैठकों एवं सम्मेलनों के लिए जलपान की व्यवस्था हेतु श्री जे.आर. आर्यन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली (सेवानिवृत्त) एक सदस्यीय समिति को प्रधान आयुक्तों के समान 5000/-रु० प्रति माह की मासिक उच्चतम सीमा की शर्त पर सत्कार भत्ता प्रदान करते हैं ।

(संतोष कुमार)  
मुख्य लेखा अधिकारी

सं.-एफ.ई.5(04)2016/डी.डी.ए./690

दिनांक:- 07-12-2016

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष, दि०वि०प्रा० के विशेष कार्य अधिकारी;
2. वित्त सदस्य, दि०वि०प्रा० के निजी सचिव;
3. श्री जे.आर. आर्यन;
4. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-I / पूर्वी ज़ोन;
5. पी.ए.ओ.(ई.डब्ल्यू ) / ए.ओ.(पी.ई.);
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी (आकस्मिक व्यय);
7. गार्ड फाइल ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी  
(वित्त एवं व्यय)